महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

कोहरा पड़ने के कारण कई ट्रेने रद्द

उत्तर भारत में अत्यधिक कोहरा पड़ने के कारण रेल प्रशासन के द्वारा कई गाड़ियों को को रद्द किया जा रहा है। निम्नलिखित तारीखों में जबलपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12191/12192 जबलपुर–नई दिल्ली–जबलपुर को आंशिक रूप से रद्द एवं 15117 मंडुवाडीह–जबलपुर– मंडुवाडीह को पूरी तरह से रद्द किया गया है एवं पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली निम्न गाड़ियाँ रद्द रहेगी। जो निम्न हैः–

- जबलपुर से जाने वाली गाड़ियाँः–

क्र.	ट्रेन नं.	कहाँ से कहाँ तक	आंशिक एवं पूरी तरह रद्द	कब से कब तक रद्द
1	12191	जबलपुर–नईदिल्ली	प्रत्येक बुधवार	21.12.16, 28.12.16 04.01.2017 एवं 11.01.2017
2	12192	नईदिल्ली–जबलपुर	प्रत्येक गुरूवार	22.12.16, 29.12.16 05.01.2017 एवं 12.01.2017
3	15117	मंडुवाडीह–जबलपुर	पूरी तरह रद्द	17.12.16 से 15.01.2017
4	15118	जबलपुर–मंडुवाडीह	पूरी तरह रद्द	17.12.16 से 15.01.2017

- पश्चिम मध्य रेल से होकर जाने वाली गाड़ियाँः–

<table>
<tr><th>क</th><th>ट्रेन नं.</th><th>कहाँ से कहाँ तक</th><th>आंशिक एवं पूरी तरह रद्द</th><th>कब से कब तक रद्द</th></tr>
<tr><td>1</td><td>12035</td><td>जयपुर–आगराफोर्ट</td><td rowspan="4">पूरी तरह रद्द</td><td rowspan="4">17.12.2016 से 15.01.2017</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12036</td><td>आगराफोर्ट–जयपुर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>14309</td><td>उज्जैन–देहरादून</td></tr>
<tr><td>4</td><td>14310</td><td>देहरादून–उज्जैन</td></tr>
</table>

यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेल प्रशासन को खेद है।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/286/2016 दिनांक 09.12.2016

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें. 'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

11 दिसम्बर को जबलपुर स्टेशन पर श्रीधाम एक्सप्रेस नहीं आयेगी

दिनांक 09 दिसम्बर को जबलपुर से नई दिल्ली के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर–नई दिल्ली श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 10 दिसम्बर 2016 को नई दिल्ली से प्रारम्भ होकर जबलपुर आने वाली गाडी संख्या 12191 भी निरस्त रहेगी। अतः दिनांक 11 दिसम्बर को जबलपुर स्टेशन पर श्रीधाम एक्सप्रेस नहीं आयेगी।

यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेल प्रशासन को खेद है।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/287/2016 दिनांक 09.12.2016

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें. 'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

प्रेस विज्ञप्ति

1- दिनांक 09.12.16 को आयोजित RSMS (RPF Security Management System) के संबंध में सेमिनारः– माननीय महानिरीक्षक/अपराध एवं आसूचना, रेलवे बोर्ड–नई दिल्ली, श्री निर्मल सिंह एवं उपमहानिरीक्षक/प्रोजेक्ट, श्री आलोक कुमार के विशेष रूचि के अनुरूप महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/पमरे–जबलपुर श्री राजेन्द्र कुमार मलिक के द्वारा दिनांक 09.12.16 को पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडल जबलपुर, भोपाल एवं कोटा के बल सदस्यों को RSMS की कार्यप्रणाली एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें सभी बल सदस्यों को RSMS की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन के बारे में बताया गया।

2- वर्ष 2015 व 2016 में सम्मान (Achivement)ः–
रेलवे सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर को अंतर क्षेत्रीय रेलों में से वर्ष 2015 के लिये सुरक्षा शील्ड से एवं हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में रेसुब/पमरे में कार्यरत प्रधान आरक्षक इंद्रनारायण बघेल को द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार श्री सुरेश प्रभु द्वारा सम्मानित किया गया है।

3- संकट काल के लिये तैयारीः–
जबलपुर मंडल में जबलपुर पोस्ट, कटनी पोस्ट एवं सतना पोस्ट के क्षेत्राधिकार में रेल सुरक्षा विशेष बल की 02 कंपनी एवं भोपाल मंडल में हबीबगंज पोस्ट के क्षेत्राधिकार में रेल सुरक्षा विशेष बल की महिला बटालियन की प्लाटून की तैनाती। यात्री अपराधों से प्रभावित क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल की 06 नई पोस्ट एवं 08 आउट पोस्ट की स्थापना की गई।

4- समयबद्धता (Punctuality)ः–
रेसुब द्वारा 128 यात्री गाड़ियों में 271 स्टाफ की तैनाती कर अनुरक्षण कराया जा रहा है। वर्ष 2016 (माह नवंबर तक) के दौरान अनाधिकृत रूप से अलार्म चैन पुलिंग करने वाले 4911 व्यक्तियों को रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत् गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा 20.78 लाख रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।

5. अपराध की स्थिति (Crime Detail)ः–

1. रेलवे एक्ट (Railway Act)–रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् वर्ष 2016 (माह नवंबर तक) 3.19 लाख व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय द्वारा 12.40 करोड़ रूपये का जुर्माना किया गया।
2. रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध) कब्जा अधिनियम {RP(UP) Act} – वर्ष 2016 (माह नवंबर तक) में 423 मामलो में 415 हल करते हुए 6.92 लाख रूपये की रेल संपत्ति की बरामदगी कर 560 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
3. भारतीय दंड विधान (IPC) एवं अन्य अधिनियम (रेल अधिनियम एवं RP(UP) Act को छोड़कर) - RPF द्वारा IPC एवं अन्य अधिनियमों के तहत् 89 मामलों में 99 अपराधियों को पकड़कर संबंधित जीआरपी/सिविल पुलिस को सुपुर्द किया गया एवं 01 मामले में 02 वन्य जीवों को जप्त कर वन विभाग की जांच एजेन्सियों को सुपुर्दगी। इसी क्रम में 03 मामलों में 33.150 मादक पदार्थ (04 किलो अफीम, 29 किलो गांजा, 150 ग्राम स्मैक) को जप्त कर 05 व्यक्तियों जांच एजेन्सिों को सुपुर्दगी।

4. चाइल्ड रेस्क्यू (Child Rescue):– वर्ष 2016 नवंबर तक के दौरान 415 बच्चों को उनके परिजनो/एन.जी.ओ. को सुपुर्द किया।

5. यात्री गाड़ियों एवं रेल परिसरों में आगजनी की घटनाओं में अंकुशः–

यात्री गाड़ियों एवं रेल परिसरों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु RPF द्वारा सक्रिय अभियान चलाकर रेल यात्रियों को पीए सिस्टम, पोस्टर/स्टीकर स्टेशन एवं ट्रेनों में चस्पा कर जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2016 माह नवंबर तक यात्री गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा अभियोजित कराया जा रहा है। साथ ही बीड़ी/सिगरेट पीने वाले के विरूद्ध अभियान चलाकर तंबाकू अधिनियम एवं रेल अधिनियम की धारा 167 के तहत् 5912 व 609 व्यक्तियों से 12.34 लाख रूपये जुर्माना वसूल किया गया।

6. रेलवे स्टेशन एवं रेल–खंडों में यात्री गाड़ियों से गिरकर जख्मी/मृत होने की घटनाओं से यात्रियों को बचाने हेतु कार्यवाही :–

रेलवे स्टेशन में गाड़ियों में यात्रियों के लापरवाही/उतावलेपन से चढ़ते/उतरते समय एवं यात्री गाड़ियों के पायदान में बैठकर लापरवाही पूर्वक यात्रा करने से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये रेल सुरक्षा बल द्वारा विशेष अभियान चलाकर रेल लाइन के किनारे गांव/कस्बों में जनसमझाइस दी गई एवं नही मानने वालों पर वैधानिक कार्यवाही कर रेल अधिनियम की धारा 147 (लाइन क्रासिंग) एवं धारा 156 (पायदान पर यात्रा) के तहत् कुल 10,079 व्यक्तियों को अभियोजित कर 16.76 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

7. महिला यात्रियों की सुरक्षाः–

यात्री गाड़ियों एवं रेलवे स्टेशन में महिला यात्रियो की सुरक्षा हेतु रेल सुरक्षा बल की महिला बल को तैनात करने के साथ–साथ विशेष अभियान चलाकर रेल पर महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों में असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोकने के लिये रेल अधिनयम की धारा 162 के तहत् 8682 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 06 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

8. श्वान दस्ता (Dog Squad):-

रेल सुरक्षा बल, श्वान दस्ता में 18 श्वान उपलब्ध है। श्वान दस्ता द्वारा यात्री गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर/पार्सल/सर्कुलेटिंग एरिया में गश्त कराई जा रही है।

खेलकूद की स्थिति (Sports-Activity):–

ऑल इंडिया रेसुब कुश्ती प्रतियोगिता में कोटा मंडल के आरक्षक महेन्द्र सिंह द्वारा प्रथम स्थान, पमरे के श्वान मार्शल द्वारा अखिल भारतीय रेसुब प्रतियोगिता वर्ष 2015 में प्रथम स्थान एवं वर्ष 2016 में द्वितीय स्थान, अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रेसुब द्वारा लगातार 03 वर्षो से प्रथम स्थान एवं पुरूष बल सदस्यों द्वारा अंतर विभागीय रस्साकसी में प्रथम एवं महिला बल सदस्यों द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त कर रेल सुरक्षा बल को गौरवान्वित किया।

9. पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्रः–

महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/पमरे–जबलपुर द्वारा उपरोक्त मदों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 115 बल सदस्यों को नगद पुरस्कार एवं 249 बल सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/288/2016 दिनांक 09.12.2016

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें. 'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर